रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.—33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2013/आश्विन 25, 1935
No. 522] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2013/ASVINA 25, 1935

## वस्त्र मंत्रालय
(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)
### अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2013

**सा.का.नि. 689(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह 'क ' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 और हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह 'ख' विधिक सहायक पद) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड), वस्त्र मंत्रालय में गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड), वस्त्र मंत्रालय, समूह 'क' और समूह 'ख' गैर तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना** : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

**3. पद की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट है ।

**5. निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.सहायक निदेशक, ग्रेड- I (गैर-तकनीकी) | 1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड -3- 15600-39100 घन ग्रेड वेतन 5400 रु.) | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नतिः<br>ऐसे ज्येष्ठ सहायक/विधिक सहायक जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300-34800/-रुपए के साथ ग्रेड वेतन 4200/- में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की है और विधिक मामलों या प्रशासनिक/स्थापना मामलों में पुनश्चर्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा किया है ।<br>**टिप्पण 1:** अधिकारी द्वारा अपने संबंधित ग्रेड/पद पर | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-<br>1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष<br>2. विकास आयुक्त, हथकरघा -सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

| | | (6) |
|---|---|---|
| विहित अर्हता/पात्रता सेवा पूरी करने को निर्दिष्ट करते हुए प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी ।<br>**टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण 3**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।<br>**प्रतिनियुक्ति** :- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-<br>(क) (I) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या<br>(II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. ग्रेड वेतन 4800/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और<br>(III) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. ग्रेड वेतन 4600/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; और<br>(IV) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. ग्रेड वेतन 4200/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--<br>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ; और<br>(II) प्रशासन, लेखा और स्सथापना मामलों का तीन वर्ष का अनुभव<br>**टिप्पण 1**-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति | 3. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी —सदस्य | |

| | | |
|---|---|---|
| के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.विधिक सहायक | 3* (2013)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड -2- 9300-34800 घन ग्रेड वेतन 4200 रु.) | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अनधिक<br>**टिप्पण:1-** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, |

| | | | | | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| अनिवार्यः<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री ;<br>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी स्वायत या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त संस्था में विधिक मामलों का तीन वर्ष का अनुभव<br>**टिप्पण 1**_- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2**_- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी - अध्यक्ष<br>2. अपर /संयुक्त विकास आयुक्त, हथकरघा-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी/विकास आयुक्त - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.ज्येष्ठ सहायक | 1* (2013)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड -2- 9300-34800 घन ग्रेड वेतन 4200 रु.) | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अनधिक<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | शिथिल की जा सकती है )। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **अनिवार्यः**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ;<br>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी स्वायत या कानूनी निकाय में प्रशासनिक, लेखा और स्थापना मामलों का तीन वर्ष का अनुभव<br>**टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2**: अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा ।<br>**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों को केन्द्रीयसरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) |

| (6) | | | |
|---|---|---|---|
| लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी - अध्यक्ष<br>2. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त, हथकरघा -सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी/विकास आयुक्त -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

[फा.सं. 1/70(1)/2011/डीसीएच/ईडब्ल्यू]

बलविन्दर कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा)

**MINISTRY OF TEXTILES**

**(Office of the Development Commissioner for Handlooms)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2013

**G.S.R 689(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2002 and the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group 'B' Legal Assistant Posts) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the non-technical posts in the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), Ministry of Textiles, namely:—

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' non-technical Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—** The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Pay band and grade Pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Assistant Director Grade-I (Non-Technical) | *1 (2013)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group A Gazetted, Ministerial | Pay band -3 Rs. 15600-39100/- plus<br>grade pay of Rs. 5400/- | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in thecase of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | By promotion failing which by deputation |

| In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a Departmental promotional Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| **Promotion :**<br>Senior Assistant/Legal Assistant in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with eight years regular service in the grade and have undergone refresher course or training in legal matters or in administrative/establishment matters.<br><br>**Note 1:** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion by officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.<br><br>**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br><br>**Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Consisting of :-<br><br>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission- Chairman;<br>2. Development Commissioner for Handlooms- Member;<br>3.Chief Enforcement Officer- Member. | Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion. |

| | | (6) |
|---|---|---|
| to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>**Deputation:**<br>Officers under the Central Government:-<br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or<br>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/Department; or<br>(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade-pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/Department;or<br>(iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade-pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/Department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience;<br>(i) Degree from a recognised University; and<br>(ii) three years' experience in administration, accounts and establishment matters.<br>**Note1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. SimilarlyDeputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.<br>**Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Legal Assistant | *3(2013) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/- | Not applicable | Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(i) Degree in Law from a recognised University/Institute<br>(ii) Three years experience in dealing with legal matters in a Government Office or Public Sector Undertaking or in a University or in an autonomous or statutory body or in any recognised Institution.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years for direct recruits | By direct recruitment |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation of direct recruits):-<br>1. Chief Enforcement Officer – Chairman;<br>2. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) -Member;<br>3. Deputy Enforcement Officer/ Deputy Development Commissioner -Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Senior Assistant | *1(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Pay band-3 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-. | Not applicable. | Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). |

| | | | | | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date prescribed for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(i) Degree from a recognised University.<br>(ii) Three years experience of administration, accounts and establishment matters in a Government Office or Public Sector Undertaking or in an autonomous or statutory body.<br>**Note.1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note. 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years for direct recruits | By direct recruitment.<br>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation of direct recruits):-<br>1. Chief Enforcement Officer – Chairman;<br>2.Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms)-Member;<br>3.Deputy Enforcement Officer/Deputy Development Commissioner-Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. 1/70(1)/2011/DCH/EW]

BALVINDER KUMAR, Development Commissioner (Handloom)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2013

**सा.का.नि. 690(अ).**–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, हथकरघा विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय (प्रवर्तन खंड) में तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना :** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

**3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट है ।

**5. निरर्हता :** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(6)

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. उप प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी | 3* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -3- 15600-39100 धन ग्रेड वेतन 6600 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 33.34 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) । 66.66 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति :<br>ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने ग्रेड-1(तकनीकी) वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 5400 रुपए में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और हथकरघों से संबंधित तकनीकी मामलों में पुनश्चर्य पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण किया है ।<br>**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—<br>1.विकास आयुक्त, हथकरघा- अध्यक्ष<br>2. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी - सदस्य<br>3.उप सचिव, कपड़ा मंत्रालय-सदस्य | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

| | | |
|---|---|---|
| प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।<br>**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन** :- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्धसरकारी या कानूनी /स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी--<br>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. ग्रेड वेतन 5400/- रु० ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:--<br>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से टेक्सटाइल तकनीक/टेक्सटाइल रसायन में डिग्री; और<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या कपड़ा नियंत्रण आदेश या हथकरघे के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का पांच वर्ष का अनुभव ।<br>या<br>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से टेक्सटाइल तकनीक/टेक्सटाइल रसायन में डिप्लोमा; और<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या कपड़ा नियंत्रण आदेश या हथकरघे के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का सात वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1**--केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे ।<br>**टिप्पण 2**-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर | | |

| | | (6) |
|---|---|---|
| नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <br><br> **टिप्पण 3**--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । <br><br> **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन गेड है । | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.सहायक निदेशक, ग्रेड-I (तकनीकी) | 3* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -3- 15600-39100 धन ग्रेड वेतन 5400 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत के लिए दो वर्ष | 66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । <br> 33.34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन । |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नतिः**<br>ऐसे तकनीकी अधीक्षक जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की है और हथकरघों से संबंधित तकनीकी मामलों में पुनश्चर्य पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण किया है ।<br>**टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण** 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।<br>**प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या आमेलन** :- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्धसरकारी या कानूनी/स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी--<br>(अ) (I) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या<br>(II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—**<br>1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष<br>2. विकास आयुक्त (हथकरघा)—सदस्य<br>3.मुख्य प्रवर्तन अधिकारी —सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

(6)

| | | |
|---|---|---|
| बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4800 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और<br>(III) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; और<br>(IV) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ; और<br>(आ) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :–<br>**अनिवार्य :**<br>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से टेक्सटाइल तकनीक/टेक्सटाइल रसायन में डिग्री ; और<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या कपड़ा नियंत्रण आदेश या हथकरघे के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का तीन वर्ष का अनुभव;<br>या<br>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से हथकरघा प्रौद्योगिकी/टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; और<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या कपड़ा नियंत्रण आदेश या हथकरघे के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का पांच वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण** 1--केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और संघ राज्य- क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे ।<br>टिप्पण 2-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण** 3--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन गेड है । | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. तकनीकी अधीक्षक | 3* (2013)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय । | वेतन बैंड -2- 9300-34800 धन ग्रेड वेतन 4200 रु. | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अनधिक ।<br>**टिप्पणः 1-** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में |

| | | | | | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **अनिवार्यः**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हथकरघा तकनीक या टेक्सटाइल तकनीक में डिप्लोमा ;<br>(ii) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या कपड़ा नियंत्रण आदेश या हथकरघे के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का तीन वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2**- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों को लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा<br>**टिप्पण 1** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी ।<br>[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।] |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-**<br><br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी - अध्यक्ष | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. अपर /संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी/विकास आयुक्त - -सदस्य | |

[फा.सं. 1/70(1)/2011/डीसीएच/ईडब्ल्यू]

बलविन्दर कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2013

**G.S.R. 690(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the technical posts in the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), Ministry of Textiles, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' Technical Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—** The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person—

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Pay band and grade pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Deputy Enforcement Officer/Regional Enforcement Officer. | *3(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial. | Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-. | Selection. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | 33.34per cent by promotion failing which by deputation including short-term contract.<br>66.66 per cent by deputation (including short term contract)/absorption |

(6)

| In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| Promotion:<br>Assistant Director Grade-I(Technical) in pay band -3 Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/- with five years of regular service in the grade and have undergone refresher course/training in technical matters relating to handlooms.<br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br>**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>Deputation including short-termcontract/Absorption:<br>Officers under the Central/State Governments/Union Territory Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government or statutory or autonomous organisations:<br>(A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department;or<br>(II) with five years service in post in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/ Department; and<br>(B) possessing the following educational qualifications and experience;<br>**Essential:**<br>(I) Degree in Textile Technology/Textiles Chemistry from a recognised University/Institute ;<br>(II) five years experience in enforcement of any Central Act including Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 or Textile Control Order or in the technical aspects of handlooms.<br>or<br>(I) Diploma in Handloom Technology/Textile Technology from a recognised University/Institute;<br>(II) seven years experience in enforcement of any Central Act including | Group 'A'Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Consisting of:<br>1.Development Commissioner for Handlooms– Chairman;<br>2.Chief Enforcement Officer-Member;<br>3.Deputy Secretary-Ministry of Textiles- Member. | Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)/ absorption. |

| | | |
|---|---|---|
| Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 or Textile Control Order or in the technical aspects of handlooms.<br><br>**Note 1:** Only officers of Central/State Governments and Union territory Administration shall be eligible for being considered for appointment on absorption basis.<br><br>**Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 3:** Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.<br><br>**Note 4 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant Director, Grade-I (Technical). | *3(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial. | Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/-. | Selection. | Not applicable. |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Two years for promotees. | 66.66 per cent promotion failing which by deputation including short term contract.<br>33.34 per cent by deputation (including short term contract)/absorption. |

(6)

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Technical Superintendent in pay band-2 of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with eight years of regular service in the grade and have undergone refresher course/training in technical matters relating to handlooms.<br><br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br>**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>**Deputation including short-term contract/Absorption:**<br>Officers under the Central/State Governments/Union Territory Governments/Universities/Recognised Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Semi-Government or statutory or autonomous organisations:<br>(A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or<br>(II) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/Department; or<br>(III) with three years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; or<br>(IV) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/Department; and<br>(B) possessing the following educational qualifications and experience:-<br>**Essential:**<br>(I) Degree in Textile Technology/Textiles Chemistry from a recognised University/ Institute;<br>(II) three years' experience in enforcement of any Central Act including Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 or Textile Control Order or in the technical aspects of handlooms; or<br>(I) Diploma in Handloom Technology/Textiles Technology from a recognised University/ Institute;<br>(II) five years' experience in enforcement of any Central Act including Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 or Textile Control Order or in the technical aspects of handlooms. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Consisting of :<br>1.Chairman/Member, Union Public Service Commision-Chairman;<br>2.Development Commissioner for (Handlooms) - Member;<br>3.Chief Enforcement Officer-Member. | Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion. |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 1:** Only officers of Central/State Governments and Union Territory Administrations shall be eligible for being considered for appointment on absorption basis.<br><br>**Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation./absorption Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 3:** Period of deputation/ including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) ;shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.<br><br>**Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Technical Superintendent. | *3(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non–Gazetted, Ministerial. | Pay band-2 Rs. 9300-34800/-, Plus grade pay of Rs. 4200/-. | Not applicable. | Not exceeding thirty years.<br>**Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br>**Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

(6)

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(i) Diploma in Handloom Technology or Textile Technology from a recognised University/Institute;<br>(ii) three years'experience in the technical aspects of handloom and in the implementation of Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 in a handloom/textile unit or organisation or in a Public Sector Undertaking or in an autonomous body or in any recognised institution.<br>**Note: 1** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable. | Two years. | By direct recruitment<br>**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.) |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation of direct recruits) consisting of:—<br>1. Chief Enforcement Officer – Chairman;<br>2.Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) – Member;<br>3. Deputy Enforcement Officer/Deputy Development Commissioner-Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. 1/70(1)/2011/DCH/EW]

BALVINDER KUMAR, Development Commissioner (Handlooms)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 35] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937 |
| No. 35] | NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25 , 1937 |


वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

**सा.का.नि. 75(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, (प्रवर्तन पक्ष) समूह गए वं घ भर्ती नियम, 1995 जहां तक वे आशुलिपिक श्रेणी-2 उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त(प्रवर्तन पक्ष) के कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी-2,उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, (प्रवर्तन पक्ष) समूह-''ग'' आशुलिपिक श्रेणी-2, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम 2016 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना :-** ये नियम इनके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) के विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -**उक्त पद संख्या,उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के सतंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: वह व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम** | **पद संख्या** | **वर्गीकरण** | **वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** | **चयन अथवा अचयन पद** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. आशुलिपिक श्रेणी-2 | 01* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. | लागू नहीं होता | 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण-** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन- द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | | पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन-किया जाएगा। | | किया जाएगा। |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण<br>(ii) कौशल परीक्षण संनियम श्रुतलेख :- 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से<br>(iii) **प्रतिलेखन :-** 50 मिनट (अंग्रेजी)<br>65 मिनट हिंदी (कम्प्यूटर पर) | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा<br>**टिप्पण-**<br>पदाधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से भरी जा सकेगी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन1900 रु. वाले पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ-(7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और विहित अनुभव हैं। | लागू नहीं होता | पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी -अध्यक्ष<br>2. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी या उप विकास आयुक्त (हथकरघा)- सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. उच्च श्रेणी लिपिक | 1* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | लागू नहीं होता । |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | शून्य | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति नियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति :- ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिनकी वेतन बैंड- 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 1900 रुपए पर श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पणी 1 .-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । | पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी -अध्यक्ष<br>2. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी या उप विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य | लागू नहीं होता । |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **टिप्पण 2.**-प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रति स्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। <br> **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी; <br> (क) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या <br> (ख) ऐसे अवर श्रेणी में जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। <br> **टिप्पण1.**- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>टिप्पण 2.-<br>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>टिप्पण 3.-<br>प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफरिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इस के कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस लाभ का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. अवर श्रेणी लिपिक | 5* (2016)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. | लागू नहीं होता | 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण-** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से कक्षा 12 उतीर्ण या<br>(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हो या ;<br>(iii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतशित रिक्तियां 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के पद में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले श्रेणी 'ग' कर्मचारियों से वरियता-सह-उपयुक्ता आधार पर भरी जाएगी। | **प्रोन्नति :** पंद्रह प्रतशित रिक्तियां 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के पद में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले श्रेणी 'ग' कर्मचारियों से वरियता-सह-उपयुक्ता आधार पर भरी जाएगी। | **पुष्टि या प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति**<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी-अध्यक्ष<br>2. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी या उप विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य | लागू नहीं होता |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिनट की गति हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की दबाव के औसत पर 10500 प्रतिघंटा/ 9000 की दबाव प्रतघंटा के अनुरुप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाफ कार ड्राइवर | 4(चार)* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु.- और ग्रेड वेतन 1900 रु. | लागू नहीं होता | 18-25 वर्ष * (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्धीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । यदि सीधी भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है, आयु सीमा 18-27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वर्ष होगी। |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आवश्यक:**<br>(i) मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;<br>(ii) मोटर यान की यंत्र-क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए);<br>(iii) मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव;<br>(iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं स्तर उत्तीर्ण।<br>**वांछनीय:**<br>होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रुप में तीन वर्षों का अनुभव।<br>**टिप्पण 1.-** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के | लागू नहीं होता | दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए) | प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए ;<br>प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन | प्रतिनियुक्ति /आमेलन: हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु.-और ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित समूह 'ग' व्यक्ति में से जो मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारियों में से जो केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करते हों या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी हो जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करता हो।<br>सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन<br>सशस्त्र बल ऐसे कामिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित | **पुष्टि या प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति**<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी-अध्यक्ष<br>2. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी या उप विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य | लागू नहीं होता |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | | | | अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हों । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। <br><br> **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । <br> **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <br><br> **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 वह तारीक्ष जिसको छठे वेतन आयोग की सिफरिशों | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इस के कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस लाभ का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। | | |

[फा. सं 1/70(2)/2011-डीसीएच/ सीईओ]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा)

**MINISTRY OF TEXTILES**

**(**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS**)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January , 2016

**G.S.R. 75(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group C and D posts Recruitment Rules,1995, in so far as they relate to the posts of Stenographer, Grade –II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer, Grade –II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver in the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), Ministry of Textiles, namely:-

**1. Short title and commencement.-(**1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'C' Stenographer, Grade –II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.-** These rules shall apply to the post specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**.- The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.-No person,-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. Saving .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay band and grade pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.Stenographer Grade-II | 1* (2016) *(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Ministerial | Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400/- | Not applicable | Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the scheduled Casts or the schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) from time to time.<br>**Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) 12th class pass or equivalent from recognised Board or University.<br><br>(ii) Skill test norms<br>Dictation:10 minutes @ 80 words per minute in stenography.<br>Transcription:<br>50 minutes (English)<br>65 minutes (Hindi) (on computer). | Not-applicable. | Two years. | Direct recruitment.<br><br>**Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis;or<br><br>(ii) with five years regular service in pay band-1, Rs. 5200-20300/-, plus grade pay Rs. 1900/-; and<br><br>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). |

| In case of recruitment by promotion/ eputation/absorption, grades from which promotion /deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Departmental Promotion Committee for considering confirmation:<br>(1) Chief Enforcement Officer -Chairman;<br>(2) Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner(Handlooms) - Member;<br>(3) Deputy Enforcement Officer or Deputy Development Commissioner ( Handlooms) - Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Upper Division Clerk. | 1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group ‘C’, Non –Gazetted, Ministerial. | Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400/-. | Non-selection. | Not applicable. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not-applicable. | Nil. | By promotion failing which by deputation. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Lower Division Clerk in pay band 1 with grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade.<br>**Note 1**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Note 2**.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.<br><br>**Deputation:**<br>Officers of the Central Government,-<br>(a) holding analogous post on regular basis; or<br>(b) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk.<br>**Note 1**.- The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note-2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years on the closing date of receipt of the applications. | Departmental Promotion Committee for considering promotion:<br>1. Chief Enforcement Officer -Chairman<br>2. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) - Member<br>3. Deputy Enforcement Officer or Deputy Development Commissioner (Handlooms) -Member | Not applicable |

| | | |
|---|---|---|
| **Note-3**.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission expect where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |
| | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Lower Division Clerk | 5* (2016) *(Subject to variation depending on workload.) | General Central Service, Group 'C', Non –Gazetted, Ministerial. | Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade Pay Rs. 1900/-. | Not applicable. | Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government Servant up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 year in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time)<br><br>**Note.-** the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| (i) 12th class or equivalent qualification from recognised Board or University;<br>(ii) a typing speed of 30 word per minutes in English or 25 word per minutes in Hindi on manual typewriter ; Or<br>(iii) a typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minutes in Hindi on computer. | Not-applicable. | Two years for direct recruitment. | Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission; and fifteen per cent vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group C employees who have three years regular service in the grade pay of Rs.1800. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH or 9000 KDPH on an average of five key depressions for each word). | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Fifteen per cent. vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group C employees who have three years regular service in the grade pay of Rs.1800. | Group –'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation or promotion:<br>1.Chief Enforcement Officer -Chairman,<br>2.Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) - Member,<br>3.Deputy Enforcement Officer or Deputy Development Commissioner (Handlooms) - Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Staff Car Driver. | 4*<br>(2016)<br>*(subject to variation dependent on workload.) | General Central Service, Group 'C', Non –Gazetted, Non-Ministerial. | Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900/-. | Not-applicable. | Between 18-25 years* (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general conditions and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government time to time ).<br>**Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive examination, the age limit shall be between18-27 years. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Essential:<br>(i) Possession of valid driving license for Motor Car;<br>(ii) knowledge of motor mechanism (candidate should be able to remove minor defect of vehicle);<br>(iii) experience of driving a motor car for at least there years; and<br>(iv) pass in 10th standard from a recognised Board.<br>Desirable – three years' experience as Home Guard or Civil Volunteers.<br><br>**Note 1**.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.<br>**Note 2.-** The qualification regarding experience is relaxable at the direction by the competent authority in case of candidates belonging to the Schedule Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not-applicable. | Two years for direct recruits or re-employed. | By deputation or absorption failing which or direct recruitment.<br><br>For Armed Forces Personnel:<br>Deputation or re-employment. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Deputation or absorption:<br>From amongst the regular Group C in pay band-1of Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs. 1800 in the Office of the Development Commissioner for Handlooms who possess valid driving license for motor cars on the basis of driving test to assess the competence to drive cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C Employees in pay band 1 of Rs. 5200-20,200, grade pay of Rs. 1800 in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).<br><br>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: | Departmental Promotion Committee for considering confirmation or promotion:<br>1.Chief Enforcement Officer -Chairman,<br>2.Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) - Member,<br>3.Deputy Enforcement Officer or Deputy Development Commissioner ( Handlooms) - Member | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and there after they may be continued on re-employment.<br>**Note 1.-**The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note-2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years on the closing date of receipt of the applications.<br>Note3.-For the purpose of appointment on deputation basis, the services rendered on regular basis by an officer prior to Ist January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission expect where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation | | |

[F. No. 1/70(2)/2011/DCH/CEO]

ALOK KUMAR, Development Commissioner (Handlooms)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

**सा.का.नि. 76(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, (प्रवर्तन पक्ष) समूह ग एवं घ भर्ती नियम, 1995 जहां तक वे चौकीदार और चपरासी के पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त(प्रवर्तन पक्ष) के कार्यालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, (प्रवर्तन पक्ष) बहु कार्य कर्मचारी वृंद भर्ती नियम, 2016 ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :-** ये नियम इनके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं , आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता : वह व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बहु कार्य कर्मचारी वृंद | 8 (2016) * कार्यभार के | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. | लागू नहीं होता । | 18 और 25 के बीच **टिप्पण 1.-** आयु-सीमाअवधारित करने के लिए |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | अराजपत्रित अनुसचिवीय | और ग्रेड वेतन 1800 रु. | | निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए की जानी वाली भर्ती के विहित की गई है)।<br>**टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णाय तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन-द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन- किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उतीर्ण | लागू नहीं होता | दो वर्ष | भर्ती सीधे होगी | लागू नहीं होता | पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:-<br><br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी-अध्यक्ष | लागू नहीं होता |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. अपर विकास आयुक्त अथवा संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) –सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी या उप विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य | |

[फा. सं1/70(2)/2011-डीसीएच/ सीईओ]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

**G.S.R. 76(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Development Commissioner for Handlooms(Enforcement Wing) Group C and D posts Recruitment Rules,1995, in so far as they relate to the posts of Chowkidar and Peon, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Multy Tasking Staff posts in the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), Ministry of Textiles, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Multi-Tasking Staff Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the post specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. Saving .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay band and grade pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Multi Tasking Staff. | 8* (2016) *(Subject to variation depending on workload). | General Central Service, Group 'C', Non –Gazetted, Ministerial. | Pay band - 1 Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay Rs. 1800/-. | Not-applicable. | Between 18 and 25 years of age.<br><br>Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for rejection of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br>Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Matriculation or equivalent from a recognised Board | Not-applicable | Two years. | By direct recruitment |

| In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion /deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Departmental Promotion Committee for considering confirmation:<br>1. Chief Enforcement Officer -Chairman,<br>2. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) -Member,<br>3.Deputy Enforcement Officer or Deputy Development Commissioner ( Handlooms) - Member. | Not applicable |

[F. No. 1/70/(2)/2011/DCH/CEO]

ALOK KUMAR, Development Commissioner (Handlooms)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042020-219109
**CG-DL-E-23042020-219109**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 200]** **नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2020/वैशाख 2, 1942**
**No. 200]** **NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2020/VAISAKHA 2, 1942**

**वस्त्र मंत्रालय**

**(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)**

**(प्रवर्तन खंड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

**सा. का.नि. 259(अ).—**राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2013 वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के (प्रवर्तन खंड) की अधिक्रांत करते हुए जहां तक उसका संबंध उप प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी और तकनीकी अधीक्षक के पदों से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण पहले से किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के (प्रवर्तन खंड) में उप प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी और तकनीकी अधीक्षक, के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

**1. संक्षिप्त, नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

**2. लागू होना -** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरहर्ता.—**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अनुज्ञेय है पर लागू है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति -**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

**7. व्यावृति-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. उप प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी | *3 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स (रु. 67700-208700) में लेवल-11 | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) । 67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति :**<br>ऐसे सहायक निदेशक जिन्होने ग्रेड-1 (तकनीकी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थान से हथकरघा में हथकरघा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण किया है।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन : केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -<br>(क) (i) जिन्होने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या<br>(ii) जिन्होने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100-177500 रुपये) वेतनमान या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो ; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों अर्थात :-<br>**आवश्यक:**<br>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र प्रौद्योगिकी या वस्त्र रसायन विज्ञान में डिग्री ; | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br>1. विकास आयुक्त, हथकरघा - अध्यक्ष<br>2. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी -सदस्य<br>3. उप सचिव-वस्त्र मंत्रालय -सदस्य<br>**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br>1. विकास आयुक्त, हथकरघा -अध्यक्ष<br>2. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी -सदस्य<br>3. उप सचिव-वस्त्र मंत्रालय -सदस्य | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| और<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 या वस्त्र नियंत्रण आदेश या हथकरघा के तकनीकी पहलुओं सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रवर्तन का पांच वर्ष का अनुभव<br>या<br>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हथकरघा प्रौद्योगिकी या वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा;<br>(II) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) या किसी भी वस्त्र नियंत्रण आदेश या हथकरघा के तकनीकी पहलुओं सहित किसी भी केन्द्रीय अधिनियम को लागू करने में सात वर्ष का अनुभव<br><br>**टिप्पण 1 :** केवल केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे ।<br><br>**टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. तकनीकी अधीक्षक | *3(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400) | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उपखंड, केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक :**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा तकनीक या वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ;<br>**अनुभव:-**<br>(ii) हथकरघा के तकनीकी पहलुओं में हथकरघा या वस्त्र इकाई या संगठन या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय में या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्ष का अनुभव।<br>**वांछनीय :** लागू नहीं | लागू नहीं होता | दो वर्ष | **सीधी भर्ती द्वारा**<br>**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी । (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो । |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br>1. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी -अध्यक्ष<br>2. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) -सदस्य<br>3. उप प्रवर्तन अधिकारी/उप विकास आयुक्त -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[सं. 1/7/2016/डीसीएच/ईडब्ल्यू]

संजय रस्तोगी, विकास आयुक्त (हथकरघा)

## MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

(ENFORCEMENT WING)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

**G.S.R. 259(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' Technical Post, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Deputy Enforcement Officer/Regional Enforcement Officer and Technical Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Enforcement Officer/Regional Enforcement Officer and Technical Superintendent in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), namely :-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' Technical Posts, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**- The number of posts, their classification and the level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Deputy Enforcement Officer/Regional Enforcement Officer | *3 (2020) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | 33 percentage by promotion failing which by deputation including short-term contract. 67 percentage by deputation (including short term contract)/ absorption. |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Assistant Director Grade-I (Technical) in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/) with five years of regular service in the grade and have undergone refresher course or training in handlooms from any recognised Central Government or State Government Institution.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Deputation including short-term contract/absorption : Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations :<br>(A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with five years service in post in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>1. Development Commissioner for Handlooms –Chairman<br>2. Chief Enforcement Officer -Member<br>3. Deputy Secretary-Ministry of Textiles -Member<br>**Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**<br>1. Development Commissioner for Handlooms –Chairman<br>2. Chief Enforcement Officer -Member<br>3. Deputy Secretary-Ministry of Textiles -Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)/absorption. |

| | | |
|---|---|---|
| in the pay matrix (Rs. 56100-177500/) or equivalent in the parent cadre or Department; and<br><br>(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-<br><br>**Essential:**<br><br>(I) Degree in Textile Technology or Textiles Chemistry from a recognised University;<br><br>(II) five years experience in enforcement of any Central Act including Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 or Textile Control Order or in the technical aspects of handlooms.<br><br>or<br><br>(I) Diploma in Handloom Technology or Textile Technology from a recognised University;<br><br>(II) seven years experience in enforcement of any Central Act including Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985) or any of the Textile Control Orders or in the technical aspects of handlooms.<br><br>**Note 1**: Only officers of Central Government or State Government or Union territory Administration shall be eligible for being considered for appointment on absorption basis.<br><br>**Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/ absorption and similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 3:** Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.<br><br>**Note 4 :** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Technical Superintendent | *3(2020) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Not applicable. | Not exceeding thirty years.<br>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(i) Diploma in Handloom Technology or Textile Technology from a recognised University or Institute;<br>**Experience :-**<br>(ii) Three years experience in the technical aspects of handloom in a handloom or textile unit or organisation or in a public sector undertaking or in an autonomous body or in any recognised institution.<br>**Desirable :** Not applicable | Not applicable | Two years | By direct recruitment<br>**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Not applicable | **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**<br>1. Chief Enforcement Officer –Chairman<br>2. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) –Member<br>3. Deputy Enforcement Officer/Deputy Development Commissioner -Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[No. 1/7/2016/DCH/EW]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner (Handlooms)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.23 17:24:32 +05'30'

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Two years | By promotion |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion** : Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology) with two years regular service in level-8 in the Pay Matrix.<br><br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-**<br><br>Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;<br><br>Joint Secretary, in-charge of Hospital Section, Ministry of Health -Member;<br><br>Deputy Director General(P), Directorate General of Health Services - Member;<br><br>Additional Medical Superintendent, Safdrjung Hospital -Member;<br><br>**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**<br><br>Joint Secretary, in-charge of Hospital Section, Ministry of Health -Chairman;<br><br>Deputy Director General(P), Directorate General of Health Services -Member;<br><br>Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Member. | Necessary. |

[F. No. A.12018/02/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

---

## वस्त्र मंत्रालय

## (हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

## (प्रवर्तन खंड)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 235.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' गैर-तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' गैर-तकनीकी पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' गैर-तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(I) क्रम 1 पर, सहायक निदेशक ग्रेड-I (गैर-तकनीकी) पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)।"; |

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200/-," शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, रु. 35400-112400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण -3 का लोप किया जाएगा ;

(iii) "प्रतिनियुक्त" उप-शीर्षक के अधीन,-

(अ) खंड (क) में,-

(I) उपखंड (ii) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन 4800/-" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, रु. 47600-151100" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (iii) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन 4600/-" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, रु. 44900-142400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(III) उपखंड (iv) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200/-" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, रु. 35400-112400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा ;

(II) स्तंभ (4) में क्रम 2 पर, विधिक सहायक पद के सामने, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)।"; |

(III) स्तंभ (4) में क्रम 3 पर, ज्येष्ठ विधिक सहायक पद के सामने, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)।"; |

[फा.सं. 1/7(1)/2016/डीसीएच/ईएनएफ]

संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 689(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

**MINISTRY OF TEXTILES**

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

(ENFORCEMENT WING)

New Delhi, the 29th July, 2019

**G.S.R. 235.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' non-technical Post, Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' non-technical Post, Recruitment(Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group-'A' and 'B' non-technical Post, Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(I) against the post of **Assistant Director Grade-I (Non Technical)** at serial 1,-.

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-10 in the pay matrix (Rs 56100-177500).”; |

(b) in column (11),-

(i) under sub-heading ‘Promotion’, for the words, figures and letters “in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs.4200/-”, the words, figures and letters “in level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400” shall be substituted;

(ii) Note-3 shall be omitted;

(iii) under the sub-heading “Deputation”,-

(A) in clause (a),-

(I) in sub-clause (ii), for the words, figures and letters “ in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/-”, the words, figures and letters “in level 8 in the pay matrix Rs. 47600-151100” shall be substituted;

(II) in sub-clause (iii), for the words, figures and letters “ in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/-”, the words, figures and letters “in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400” shall be substituted;

(III) in sub-clause (iv), for the words, figures and letters “ in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/-”, the words, figures and letters “in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400” shall be substituted;

(B) in clause (b), Note-4 shall be omitted;

(II) against the post of **Legal Assistant,** at serial 2, in column (4), for the column heading and entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400).”; |

(III) against the post of **Senior Assistant,** at serial 3, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400).”; |

[F.No. 1/7(1)/2016/DCH/Enf]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

**Note :-** The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 689(E), dated the 15th October 2013.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 236.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) बहुकार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) बहुकार्य कर्मचारिवृंद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) बहुकार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)।" |

[फा.सं. 1/7(5)/2016/डीसीएच/ईएनएफ]

संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 76(ए), तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 29th July, 2019

**G.S.R. 236.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Multi-Tasking Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Multi-Tasking Staff Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900).” |

[F. No. 1/7(5)/2016/DCH/Enf]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

**Note :** The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 76(E), dated the 15th January 2016.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 237.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह ‘ख’ आशुलिपिक श्रेणी I पद) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह ‘ख’ आशुलिपिक श्रेणी I पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (समूह ‘ख’ आशुलिपिक श्रेणी I पद) भर्ती नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।”।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(I) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| “वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)।”; |

(II) स्तंभ (12) में,-

(i) “प्रोन्नति” उप-शीर्षक के अधीन, “वेतनमान रु. 5000-8000” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (रु. 25500-81100)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “प्रतिनियुक्ति” उप-शीर्षक के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में, “वेतनमान रु. 5000-8000” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, रु. 25500-81100” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

[फा.सं. 1/7(3)/2016/डीसीएच/ईएनएफ]

संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 165, तारीख 6 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 29th July, 2019

**G.S.R. 237.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group 'B' **Stenographer Grade I** post) Recruitment Rules, 2005, namely :-

1. (1) These rules may be called the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group 'B' Stenographer Grade I post) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Group – 'B' Stenographer Grade I post) Recruitment Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule,-

(I) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| "Level in pay matrix |
|---|
| 4 |
| Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400)."; |

(II) in column (12),-

(i) under sub-heading 'Promotion', for the words, letters and figures "in the pay scale of Rs. 5000-8000", the words, figures and letters "in level 4 in the pay matrix (Rs 25500-81100)" shall be substituted;

(ii) under sub-heading 'Deputation', in clause (a), in sub-clause (ii), for the words, letters and figures "in the scale of pay of Rs. 5000-8000", the words, figures and letters "in level 4 in the pay matrix Rs 25500-81100" shall be substituted.

[F. No. 1/7(3)/2016/DCH/Enf]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

**Note :-** The principal rules were published in the Gazetted of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 165, dated the 6th May, 2005.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 238.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, क्रम 2 पर, सहायक निदेशक ग्रेड-I (तकनीकी) पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)।"; |

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200/-" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, रु. 35400-112400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा ;

(iii) "प्रतिनियुक्त, जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा/आमेलन है" उप-शीर्षक के अधीन,-

(I) खंड (अ) में,-

(क) उपखंड (ii) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, रु. 47600-151100" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iii) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, रु. 44900-142400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (iv) में, "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, रु. 35400-112400" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(II) खंड (आ) में, टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा ;

[फा.सं. 1/7(2)/2016/डीसीएच/ईएनएफ]

संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 690(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 29th July, 2019

**G.S.R. 238.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group'A' and 'B' Technical Post, Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group 'A' and 'B' Technical Post, Recruitment(Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group-'A' and 'B' Technical Post, Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix**.—**The number of posts, their classification and the level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.".

3. In the said rules, in the Schedule, against the post of **Assistant Director Grade-I (Technical)** at serial 2,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| "Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-10 in the pay matrix (Rs 56100-177500)."; |

(b) in column (11),-

(i) under sub-heading 'Promotion', for the words, figures and letters "in pay band-2 of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs.4200/-", the words, figures and letters "in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400" shall be substituted;

(ii) Note-2 shall be omitted;

(iii) under the sub-heading 'Deputation including short-term contract/Absorption',-

(I) in clause (A),-

(a) in sub-clause (II), for the words, figures and letters " in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800", the words, figures and letters "in level 8 in the pay matrix Rs. 47600-151100" shall be substituted;

(b) in sub-clause (III), for the words, figures and letters " in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures and letters "in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400" shall be substituted;

(c) in sub-clause (iv) for the words, figures and letters " in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures and letters "in level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400" shall be substituted;

(II) in clause (B), Note-4 shall be omitted.

[F. No. 1/7(2)/2016/DCH/Enf]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

**Note :** The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 690(E), dated the 15th October 2013.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 239**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'ग' आशुलिपिक, श्रेणी-2, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'ग' आशुलिपिक, श्रेणी-2, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'ग' आशुलिपिक, श्रेणी-2, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(I) क्रम 1 पर, आशुलिपिक श्रेणी- 2 पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)।"; |

(ख) स्तंभ (10) में, "सीधी भर्ती" उप-शीर्षक के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में, "वेतन बैंड-1, रु. 5200-20300/-+ग्रेड वेतन रु. 1900" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, रु. 19900-63200" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(II) क्रम 2 पर, उच्च श्रेणी लिपिक पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)।"; |

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) 'प्रोन्नति' उप-शीर्षक के अधीन "वेतन बैंड-1+ग्रेड वेतन रु. 1900" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, रु. 19900-63200" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण- 2 का लोप किया जाएगा ;

(iii) 'प्रतिनियुक्ति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण- 3 का लोप किया जाएगा ;

(III) क्रम 3 पर, अवर श्रेणी लिपिक पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)।"; |

(ख) स्तंभ (10) में, 'ग्रेड वेतन रु. 1800" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, रु. 18000-56900" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) स्तंभ (11) में, 'प्रोन्नति' उप-शीर्षक के अधीन,-

'ग्रेड वेतन रु. 1800" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, रु. 18000-56900" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(IV) क्रम 4 पर, स्टाफ कार ड्राइवर पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)।"; |

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) 'प्रतिनियुक्ति या आमेलन' उप-शीर्षक के अधीन "वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 +ग्रेड वेतन रु. 1800" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, रु. 18000-56900" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण- 3 का लोप किया जाएगा ;

[फा.सं. 1/7(4)/2016/डीसीएच/ईएनएफ]

संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 75(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 29th July, 2019

**G.S.R. 239.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group'C' Stenographer, Grade-II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver Recruitment Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Group'C' Stenographer, Grade-II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(i) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing) Stenographer, Grade-II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Staff Car Driver Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(I) against the post of **Stenographer Grade-II**, at serial 1,-.

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| "Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100). "; |

(b) in column (10), under sub-heading "Direct recruitment" in clause (a), in sub-clause (ii), for the words, figures and letters "in pay band-1, Rs 5200-20300/- plus grade pay Rs. 1900/-", the words, figures and letters "in level 2 in the pay matrix Rs 19900-63200" shall be substituted;

(II) against the post of **Upper Division Clerk** at serial 2,

(a) in column (4), for the column heading entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

| "Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100). "; |

(b) in column (11),-

(i) under the sub-heading 'Promotion', for the words, figures and letters "in pay band 1 with grade pay of Rs. 1900", the words, figures and letters "in level-2 in the pay matrix Rs 19900-63200" shall be substituted;

(ii) Note-2 shall be omitted;

(iii) under the sub-heading 'Deputation', Note-3 shall be omitted;

(III) against the post of **Lower Division Clerk** at serial 3,-.

(a) in column (4), for the column heading and entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200). ”; |

(b) in column (10), for the words, letters and figures “in the grade pay of Rs.1800”, the words, figures and letters “in level 1 in the pay-matrix Rs 18000-56900” shall be substituted;

(c) in column (11), under heading ‘Promotion’,-

for the words, letters and figures “in the grade pay of Rs.1800”, the words, figures and letters “in level 1 in the pay matrix Rs.18000-56900” shall be substituted;

(IV) against the post of **Staff Car Driver** at serial 4,-.

(a) in column (4), for the column heading and entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| “Level in pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200).”; |

(b) in column (11),-

(i) under heading ‘Deputation or absorption’, for the words, figures and letters “in pay band 1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.1800”, the words, figures and letters “in level 1 in the pay matrix Rs 18000-56900” shall be substituted;

(ii) Note-3 shall be omitted.

[F. No. 1/7(4)/2016/DCH/Enf]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

**Note :-** The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 75(E), dated the 15th January 2016.

---

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

**(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)**

**(शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय)**

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 240**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शर्करा निदेशालय के उप निदेशक (शर्करा तकनीकी) भर्ती नियम, 1982, और वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, विकास अधिकारी और रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक कि वे उप निदेशक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने